

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /

संस्थापन दिनांक 23.07.08

R 843-III/08

1. रमाकांत तनय स्व. इन्द्रभान राम ब्रा.
2. मुस्मात छोटकी बेबा स्व. इन्द्राभानराम ब्रा.
दोनो निवासीगण-देवरी सेंगरान थाना नई गढी तहसील मऊगंज जिला रीवा म.प्र.

.....आवेदकगण

विरुद्ध

- ✓ 1. श्रीराम लल्लू ब्रा. पिता स्व० इन्द्रभानराम ब्रा.
2. श्रीमती उर्मिला पुत्री स्व. इन्द्रभानराम ब्रा.
दोनो निवासी-ग्राम देवरी, सेंगरान थाना नई गढी तहसील मऊगंज जिला रीवा म.प्र.

.....अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 ई. ।

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर कमिशनर महोदय रीवा के प्र.क्र. 179/अपील/00-01 में पारित आदेश दिनांक 02.

05.08 ।

महानुभाव

अन्य के अतिरिक्त, जो वक्त तर्क पेश किये जावेगें, पुनरीक्षण आवेदन

पत्र के आधार निम्नांकित है -


Handwritten signatures and stamps at the bottom left, including 'महानुभाव' and 'अपर कमिशनर'.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

29

मामला क्र. नि.843-तीन/08

जिला-रीवा

(1)	(2)	(3)
26.10.16	<p>आवेदक एवं आवेदक के अधिवक्ता 2 पेशियों से उपस्थित नहीं । अनावेदक की ओर से श्री विजय कुमार द्विवेदी अधिवक्ता उपस्थित ।</p> <p>2. अतः आवेदक अधिवक्ता को समय-समय पर आवाज लगवाई गयी उसके बाद कोई उपस्थित नहीं । अतः आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M